



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 1054 / अकादमी/संबद्धता/16
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19.5.16

प्राचार्य

अशासकीय

ज्ञान-3-विद्या महिला (040)

महाविद्यालयी मंत्र भोपाल

विद्या परिषद की छात्री समिति की बैठक
दिनांक 13-05-2016 एवं कुलपतिजी द्वारा
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4)
के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमोदन के परिपालन में
सम्बद्धता की अस्थायी निरन्तरता सत्र 2016-17

विषय:- सत्र 2016-17 में स्थाई/अस्थायी संबद्धता की निरन्तरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.05.2016 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. B.com (IT) All Compulsory sub. & Comp APP. (150 Seat)
2. BCA - (60 seats) BBA (I, II, III) Mcom (PF) Manag & Account (60 seats)
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2017-18 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिचय 27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा ।
4. शारी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा ।
6. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचय 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2016 तक पूर्ण कर प्रस्तुत करनी होगी ।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जबाबदारी महाविद्यालय प्रबंध की होगी ।
8. जिन महाविद्यालय में कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा ।

पृ० कमांक 1053 / अकादमी/संबद्धता/16
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।

विश्वविद्यालय परिचय 27 व 28 तथा अन्य निर्देशों एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन ना होना पाये जाने पर अस्थाई संबद्धता / निरन्तरता स्वयं निरस्त मानी जायेगी

आदेशानुसार,

[Signature]
उप-कुलसचिव अकादमी
भोपाल, दिनांक 19.5.16

[Signature]
उप-कुलसचिव, अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2016-17

(40)

क्रमांक 1344 /अकादमी/संबद्धता/16
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/5/16

PRINCIPAL/DIRECTOR
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN,
TULSI NAGAR
BHOPAL 462003 MADHYA PRADESH

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक
दिनांक 13-05-2016 एवं कुलपतिजी द्वारा
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4)
के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमोदन के परिपालन में
संबद्धता की अस्थायी निरन्तरता सत्र 2016-17

विषय:- सत्र 2016-17 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2016-17.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 141391 दिनांक: 31-05-2015.
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 19-05-2016 को जारी सूची
क्रमांक: 53.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.05.2016 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2017-18 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2016 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

पू0क्रमांक 1345 /अकादमी/संबद्धता/16
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी
भोपाल, दिनांक 30/5/16

सहा.-कुलसचिव, अकादमी

विश्वविद्यालय परिचय क्रं. 27 व 28 तथा अन्य निर्देशों एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन ना होना पाये जाने पर अस्थाई संबद्धता / निरन्तरता स्वयं निरस्त मानी जायेगी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1297/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 40
ANAND VIHAR GIRLS COLLEGE
LINK ROAD NO. 174 BUNGLOWS TULSI NAGAR
BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुसोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्रं.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचय 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ0क्रमांक 1297/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी



Principal
Anand Vihar College
For Women Bhopal



40

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2242/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/17

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN,
TULSI NAGAR BHOPAL 462003 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 14391 दिनांक: 31/5/2015
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक:- 53.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिचालन क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचालन क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।



आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

पृ०क्रमांक 2243/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

RENWAL

भोपाल, दिनांक: 30.5.18.

क्र. 2184/अका./सं. 1.40/2018

प्रति,

प्राचार्य,
40-ANAND VIHAR GIRLS COLLEGE
Dist.: BHOPAL



विषय:-सम्बद्धताकी निरंतरता/ नवीन अस्थाईसम्बद्धता प्रदान करने विषयक- सत्र 2018-19.

महोदय,


निरीक्षण समिति की अनुशंसा, कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

Course/ Branch
BBA-PLAIN, BCA-PLAIN, BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT

शर्त:-

1. अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2019-20 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग/ नियामक संस्था की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 सहित अन्य नियमों/ निर्देशों का पालन करना होगा।
3. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
5. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग / नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त (यदि कोई हो) अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
8. विश्वविद्यालय में जमा/ जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 01 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी नियम/ निर्देश/ प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

आदेशानुसार



उप-कुलसचिव, (अकादमी)

प्र.क्र. 2135/अका./सं. 1.....

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग, भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल-बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वि.वि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

यु. सहायक कुलसचिव, (अकादमी)
Acting Registrar,
Barkatullah University, Bhopal



BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

No. 249 / Acad./Affi./2018

Date: 15/5/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Anand Vihar College for Women ^{BPL} Madhya Pradesh is affiliated to the Barkatullah University, since 1970 and the following courses/ subjects are taught in the said college.

S. No.	Name of Course.	Affiliation (Permanent/ Temporary)
01	B.Com (Plain)	150 seats
02	B.Com. (Com. App)	150 seats
03	M.Com.	60 seats
04	B.B.A.	60 seats
05	B.C.A.	60 seats
06		

Affiliation given to this college and its courses, valid as on date of issue of this letter.

Principal
Anand Vihar College
For Women Bhopal

Att Registrar (Acadmic)
Barkatullah University, Bhopal



आवेदन क्र. BU1803310007

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

NEW COUSE

भोपाल, दिनांक:- 22/6/18..

क्र...../अका./संब. 12332/410/18

प्रति,

प्राचार्य,
40-ANAND VIHAR GIRLS COLLEGE
Dist.: BHOPAL



विषय:-सम्बद्धताकी निरंतरता/ नवीन अस्थाईसम्बद्धता प्रदान करने विषयक- सत्र 2018-19.

महोदय,

निरीक्षण समिति की अनुशंसा, कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

Course/ Branch
BA-ECONOMICS, BA-ENGLISH, BA-GEOGRAPHY, BA-HINDI, BA-HISTORY, BA-POLITICAL SCIENCE, BA-PSYCHOLOGY, BA-PUBLIC ADMIN, BA-SOCIOLOGY (2111-I)

शर्तें:-

1. अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2019-20 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग/ नियामक संस्था की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 सहित अन्य नियमों/ निर्देशों का पालन करना होगा।
3. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (लीन माएन)
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
5. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग / नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त (यदि कोई हो) अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
8. विश्वविद्यालय में जमा/ जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 01 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी नियम/ निर्देश/ प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव, (अकादमी)

22/6/18

प्र.क्र...../अका./संब. 12333/410

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग, भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल-बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वि.वि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

Principal
Anand Vihar College
For Women Bhopal

J. सहायक कुलसचिव, (अकादमी)

प्र.क्र. 12333/410
बरकतउल्ला



आवेदन क्रमांक:BU1803230021

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 2/34 अका./संभ./2018

RENEWAL
भोपाल, दिनांक: 30/5/18

प्रति,

प्राचार्य,

40-ANAND VIHAR GIRLS COLLEGE
LINK ROAD NO. 1 74 BUNGLOWS TULSI NAGAR BHOPAL
BHOPAL
NCTE FILE NO.:223116

विषय:- सम्बद्धता की निरन्तरता/नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक सत्र 2018-19.

महोदय,

निरीक्षण समिति की अनुशंसा, कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

Course Name / Branch	Seat No.
BED-PLAIN	100

शर्त:-

- (1) अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2019-20 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
- (3) प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (4) महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- (5) शास्त्री निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- (6) उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त (यदि कोई हो) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- (7) बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।
- (8) विश्वविद्यालय में जमा/जमा की जाने वाली एफ0डी0आर0 की पूर्ण जानकारी एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (9) किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में यह सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

आदेशानुसार



[Signature]
उपकुलसचिव (अकादमी)

भोपाल, दिनांक: 30/5/18

पृ0क्रं0: 2/35 अका./संभ./2018

प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- (2) अतिरिक्त संचालक भोपाल / नर्मदापुरम संभाग, भोपाल।
- (3) प्रभारी, आई0टी0वेब सेल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
- (4) उपकुलसचिव (शोपनीय / परीक्षा) की ओर सूचनार्थ।
- (5) कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

[Signature]
सहायक कुलसचिव (अकादमी)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्र. 101/अका./संब. 2019

भोपाल, दिनांक: 30/5/19

प्रति,

प्राचार्य,
040 -ANAND VIHAR GIRLS COLLEGE
LINK ROAD NO. 1 74 BUNGLOWS TULSI NAGAR BHOPAL
BHOPAL



विषय:- अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता 2019-20 प्रदान करने विषयक।

महोदय,

विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दि. 30/4/19 की अनुशंसा पर कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र. वि.वि. अधि. 1973 की धरा 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत, कुलपति जी द्वारा दी गई स्वीकृति के तारतम्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता (निम्नांकित शर्तों के तहत) प्रदान की जाती है।

S.No.	Course	Branch	Status	Seats
1	BCOM	COMPUTER APPLICATION, --- & Plain	PERMANENT	300
2	BBA	---	TEMPORARY	60
3	BCA	---	TEMPORARY	60
4	MCOM	ACCOUNT, MANAGEMENT	TEMPORARY	120

शर्तें:-

1. प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/ नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त मन जावेगा।
5. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
6. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
7. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
8. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा। प्रति 3 माह में। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
9. विश्वविद्यालय में जमा/ जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

क्र. 101/अका./संब. /.....

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

Print Date :-May 26 2019 1:37:49

Principal
Anand Vihar College
For Women Bhopal

आदेशानुसार
उप-कुलसचिव, (अकादमी)





BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

No. 254 / Acad. / Affi. / 209

Date: 28.13.2019


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Anand vihar college for women BPK
Madhya Pradesh is affiliated to the Barkatullah University, since 1970 and the following
courses/ subjects are taught in the said college. Affiliation for session 2019-2020 is in process.

S. No.	Name of Course.	Intake
01	BCom (plain)	150
02	Bcom (com app)	150
03	MCom	60
04	BBA	60
04	BCA	60
05	BA	80 (Eighty only)
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12-		

Assst. Registrar (Academic)
Barkatullah Vishwavidyalaya,
BHOPAL

Note:- (उपरोक्त पत्र इस शर्त के आधार पर प्रभावशील माना जावेगा कि महाविद्यालय ने पाठयक्रमों की निरंतरता हेतु उच्च शिक्षा में शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किया हों)


Principal
Anand Vihar College
For Women Bhopal


Assst. Registrar (Academic)
Barkatullah University, Bhopal
Assst. Registrar (Academic)
Barkatullah Vishwavidyalaya,
BHOPAL



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

नवीन संबद्धता, 2019-20

क्रमांक 2407 (131) / अकादमी / सम्बद्धता / 2019

भोपाल, दिनांक 30.5.19.

प्रति,

प्राचार्य
आनन्द बिहार वूमन्स महाविद्यालय
जिला भोपाल

विषय:- सत्र 2019-20 अस्थाई संबद्धता प्रदान करने विषयक ।

संदर्भ:- आशुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 139/953/18 दिनांक 31.1.19 एवं 3066 / 953/18 दिनांक 29.12.18

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.04.2019 में की गई अनुशंसा तथा म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपतिजी को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में शामिल निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
(1) सी.ए गण-2 (राजनीति शा.अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,) अति.वि. लोक प्रशासन, अर्जेंजी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, हिन्दी इतिहास	60सीट संख्या नोट:- (अति.वि हेतु अस्थाई में सीट संख्या 30

1. आपको आगामी सत्र 2020-21 संबद्धता की निरंतरता के लिए नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय परिचय पत्र 27 एवं 28 तथा परीक्षा संदर्धी अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. आपको शारीरिकी विभाग की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची एक माह में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र/छात्राओं का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों को सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जावेगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. जिन महाविद्यालयों में कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियमित नियुक्ति नहीं की गई है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं की है उन महाविद्यालयों में संवाहित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आकादमी

सहा-कुलसचिव,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



2407 (132)

क्रमांक / अकादमी / संबद्धता / 19 भोपाल, दिनांक 30.5.19.

प्रतिश्री-

1. आशुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मनस भवन इकायल हिल्स भोपाल
4. सहा-कुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

Madhur

Principal
Anand Vihar College
For Women Bhopal

सहा-कुलसचिव, (अकादमी)

S- No - 11

Affiliation Renewal

BU1901120003



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्र. 2404/अका./संब. / 2019

भोपाल, दिनांक: 30/5/19

प्रति,

प्राचार्य,
040 -ANAND VIHAR GIRLS COLLEGE
LINK ROAD NO. 1 74 BUNGLOWS TULSI NAGAR BHOPAL
BHOPAL



विषय:- अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता 2019-20 प्रदान करने विषयक।

महोदय,

30-4-2019

विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दि. 30-4-2019 की अनुशंसा पर कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र. वि.वि. अधि. 1973 की धरा 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत, कुलपति जी द्वारा दी गई स्वीकृति के तारतम्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता (निम्नांकित शर्तों के तहत) प्रदान की जाती है।

S.No.	Course	Branch	Status	Seats
1	BED	---	TEMPORARY	100

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/ नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त मन जावेगा।
5. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
6. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
7. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
8. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा। प्रति 3 माह में। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
9. विश्वविद्यालय में जमा/ जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

क्र. 2405/अका./संब. / 2019
प्रतिलिपि-

30/5/19

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।



अदेशानुसार
कुलसचिव, (अकादमी)
सहायक कुलसचिव, (अकादमी)

Received on 03/10/2020
Reg. No. 5062

1625

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 14/07/2020

प्राचार्य, अध्यक्ष
35-Anand Vihar College for Women
Talsi Nagar, Bhopal

विषय:- अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2020-21 प्रदान करने विषयक ।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2020, 22.05.2020 एवं 05.06.2020 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.06.2020, में अनुमोदन उपरांत महाविद्यालय को किन्तुलिखित पाठ्यक्रमों को सत्र 2020-21 हेतु स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

Course	Subject
BCoin III	All Compulsory Subjects with CompAppl
BCA III	
MCom F	A/M
BBA III	
B.A. (H)	2019-20(1) Year Renewal Geo. Eng. Geography, Hindi, polit. Sc, Psychology, Public Ad., Sociology, History

- शर्तें-
- प्रदत्त अस्थाई संबद्धता/निरंतर करने हेतु सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य विद्यालय संस्था की मान्यता विचारित संबद्धता शुल्क एवं अपडेटेड सत्र के शासकीय नियत लिखक एवं अकेल करना होगा।
 - उच्च शिक्षा विभाग/विद्यालय संस्था द्वारा जारी शर्तें अनुसूची प्रमाण पत्र के संकेत में किन्तुलिखित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने से जल्दा ही जानाती सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्वयात् प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किन्तु भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता पत्र स्थगित निरस्त माना जायेगा।
 - दिना संबद्धता के किसी छत्र-छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
 - विश्वविद्यालय परिचय 27, 28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5, 6, 7 का पालन करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
 - प्राचार्य शिक्षकों की नियुक्ति वि.वि. अधिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची तीन माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अशास महावि हेतु)
 - महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
 - शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा। (अशास महावि. हेतु)
 - वि.वि. में जमा की जाने वाली FDR पूर्ण जानकारी एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

आदेशानुसार

(डॉ. बी० भारती)

उपकुलसचिव
भोपाल, दिनांक 14/07/2020

1626

पु.कं. अका.सं. 2020
प्रतिलिपि-

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुरा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
- प्रभारी, वि.वि. आई.टी/वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनाार्थ।
- कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।

उपकुलसचिव (अकादमी)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कं. 672/अका./संव./2021
प्रति,

प्राचार्य/अध्यक्ष,
आनन्द विहार कॉलेज फॉर वुमन
जिला भोपाल

भोपाल दिनांक 23-06-2021

अस्थाई संबद्धता
सत्र 2020-21

विषय:- नवीन अस्थाई संबद्धता (सत्र 2020-21) प्रदान करने विषयक
महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कं 792/आ.उ.शि./संव/2021 दिनांक 26.03.2021 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.06.2021 में की गई अनुशंसा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम - 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति जी को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार नवीन पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 हेतु (अस्थाई संबद्धता) निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

Course/ Branch
1- B.A. - (III) - FC, POLITICAL SC. SOCIOLOGY, ECONOMICS, ADDI SUB HINDI, HISTORY, PUB.ADMN, PSYCHOLOGY, ENGLISH, GEOGRAPHY

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2021-22 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय परिनियम-27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश कं.5,6,7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा। महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
3. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
4. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त संबद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
5. बिना संबद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महावि. प्रबंधन की होगी, किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
6. वि.वि.में जमा की जाने वाली FDR मूल प्रति एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


आदेशानुसार

उप-कुलसचिव(अकादमी)
भोपाल, दिनांक 23.06.2021

पृ.कं.673/अका./2021
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनाार्थ।
2. अतिरिक्त, संचालक उच्च शिक्षा नर्मदा पुरम संभाग एमएलबी महावि.केम्पस भोपाल की ओर सूचनाार्थ।
3. उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय को उचित कार्यवाही हेतु सूचनाार्थ।
4. प्रभारी आई.टी.सेल,बरकतउल्ला वि०वि०भोपाल की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
5. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से कुलपति/कुलसचिव जी को सूचनाार्थ।

सहा.कुलसचिव (अकादमी)


Principal
Anand Vihar College
For Women Bhopal



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1625/अकादमी/सम्बद्धता/2020

भोपाल, दिनांक 14/07/2020

प्राचार्य

040-ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN,
TULSI NAGAR
BHOPAL

विषय- सत्र 2020-21 अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2020, 22.05.2020 एवं 05.06.2020 में की गई अनुशांसा तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.06.2020 में अनुमोदनोपरांत एवं नियामक संस्था की मान्यता के आधार पर आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी. एड. (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)	100

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा NCTE की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जबाबदार महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. विश्वविद्यालय परिणियम 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची तीन माह में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
7. आपको शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
8. विश्वविद्यालय में जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

आदेशानुसार

(डॉ. बी. भारती)

कुलसचिव

प्रकृमांक 1626 /अकादमी/सम्बद्धता/20

भोपाल, दिनांक 14/07/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मनस भवन श्यामला हिल्स भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं उच्चिष्ठता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

उप-कुलसचिव, (अकादमी)